(15)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
म0प्र0

पुनर्विलोकन – 6144/2018/ग्वालियर/भू०रा०

प्रकरण क्रमांक /2018–19 पुर्नावलोकन आवेदन

1. सुरेश चौबे पुत्र स्व0 श्री किशनलाल चौबे निवासी– राजपायेगा रोड, हाल निवासी– पुलिस कॉलोनी, भोपाल म0प्र0
2. आलोक रघुवंशी पुत्र श्री रणधीर सिंह रघुवंशी निवासी– भास्कर लेन जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर म0प्र0

श्री अनुप कुमार
10-10-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 30-10-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट 10-10-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

..............**पुर्नावलोकनकर्तागण**

//विरुद्ध//

1. म0प्र0 शासन
2. दिलीप चौबे पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
3. महेश चौबे पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
4. नरेन्द्र चौबे पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
5. निवासीगण– नयाया बाजार पंजाब नेशलन बैंक के सामने, लश्कर, ग्वालियर
6. रमेश चौबे पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
7. उमाशंकर चौबे पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे
   निवासीगण्ण नहर वाली माता रोड नाका चंद्रवदनी, लश्कर, ग्वालियर म0प्र0
8. जगदीश पुत्र पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे निवासी अरगडे की गली नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर
9. राधेश्याम पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे निवासी नहर वाली माता रोड, नाका चन्द्रवदनी लश्कर, ग्वालियर

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
प्रति 40 20
10-10-18

10. सतीश चौबे पुत्र स्व0 रामस्वरूप चौबे म.क्र. 742 पटेल नगर सिटी सेन्टर ग्वालियर
11. सीमा चौबे पत्नी स्व0 मुरारीलाल चौबे
12. सागर चौबे पुत्र स्व0 मुरारीलाल चौबे
13. सारिका पुत्री पुत्री स्व0 श्री मुरारीलाल चौबे
14. अंकिता चौबे पुत्री स्व0 मुरारीलाल चौबे
15. सैफाली पुत्री स्व0 श्री मुरारीलाल चौबे समस्त निवासीगण पंजाब नेशनल बैंक के सामने, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर
16. अर्चना शर्मा पुत्री मदनमोहन मुदगल निवासी गुडीगुडा का नाका लश्कर, ग्वालियर
17. हिमांशी पाण्डे पुत्री राघवेन्द्र पाण्डे निवासी जटार गली लश्कर, ग्वालियर
18. श्यामा पत्नी स्व0 अनिल खेमरिया हुजरात पुल, लश्कर, ग्वालियर
19. पदमा पत्नी स्व0 भरत चौबे
20. अमन चौबे पुत्र स्व0 भरत चौबे निवासीगण– पंजाब नेशनल बैंक के सामने, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर म0प्र0

...............प्रतिपुर्नावलोकनकर्तागण

पुर्नावलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू–राजस्व संहिता वास्ते न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री मनोज गोयल साहब द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2693/2018/ग्वालियर/भूरा में आदेश दिनांकी 13.09.2018 का पुर्नावलोकन किये जाने बावत्।

माननीय न्यायालय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **पुर्नविलोकन 6144/2018/ग्वालियर/भूरा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–11–2018	**आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.9.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :-** **(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या** **(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या** **(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार ।** **आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारातर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है ।** (मनोज गोयल) अध्यक्ष	